संख्या- 624 /44-1-2013-77/2009

प्रेषक,

वीरेन्द्र प्रताप सिंह,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों के प्रशासनिक विभागों के प्रमुख सचिव/सचिव।

सार्वजनिक उद्यम अनुभाग–1 लखनऊ : दिनांक : 25 जून 2013

विषयः– वेतन समिति (2008) के पन्द्रहवें प्रतिवेदन सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों की पदवार एवं सामान्य कोटि के संवर्ग/पदों के संबंध में दी गयी विस्तृत संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयों के कार्यान्वयन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वेतन समिति–(2008) द्वारा पन्द्रहवें प्रतिवेदन के माध्यम से सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों की पदवार एवं सामान्य कोटि के संवर्ग/पदों के संबंध में दी गयी संस्तुतियों को सैद्धान्तिक रुप से स्वीकार करते हुए अगले प्रस्तर–2 में उल्लिखित शर्तो के अधीन निम्न निर्णय लिये गये हैः–

(i) सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों में सामान्य श्रेणी के पदों पर राजकीय कार्यालयों के सामान्य श्रेणी के पदों के संबंध में वेतन समिति की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के अनुसार वेतनमान एवं संवर्गीय ढ़ाँचा लागू किया जाय।

(ii) सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों में उपलब्ध वे पद जो राजकीय कार्यालयों में उपलब्ध सामान्य कोटि के पदों से इतर विशिष्ट प्रकार के हैं उनमें से ऐसे पद जिनके पदनाम, कार्य एवं दायित्व एवं अर्हतायें राजकीय विभागों के समान हैं, उन पदों पर राजकीय विभागों के समान ही वेतनमान अनुमन्य किया जाय। जिन पदों के समकक्षीय पद राजकीय विभागों में उपलब्ध नहीं हैं, उन पदों के संबंध में उनके कार्य एवं उत्तरदायित्व तथा शैक्षिक अर्हताओं के आधार पर राजकीय विभागों के लिये अपनायी गयी नीति के अनुसार शासन स्तर पर परीक्षण कर निर्णय लिया जाये। उक्त के संबंध में संबंधित प्रशासकीय विभाग केस–टू–केस आधार पर परीक्षण करेंगे, तत्पश्चात सार्वजनिक उद्यम विभाग एवं वित्त विभाग की सहमति प्राप्त

करते हुए मा0 मुख्य मंत्री जी के अनुमोदनोपरान्त संबंधित आदेश वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जायेंगे ।

(iii) ऐसे सार्वजनिक उपक्रम/ निगम जहाँ राज्य कर्मचारियों को अनुमन्य सुविधाओं से हटकर सुविधाएं अनुमन्य है वहाँ वेतन समिति (2008) के सांतवें प्रतिवेदन के प्रस्तर–48 में की गयी संस्तुति के अनुसार प्रकरण का पुनरावलोकन कर निर्णय लिया जाय । उक्त के संबंध में संबंधित प्रशासकीय विभाग केस–टू–केस आधार पर परीक्षण करेंगे, तत्पश्चात सार्वजनिक उद्यम विभाग एवं वित्त विभाग की सहमति प्राप्त करते हुए मा0 मुख्य मंत्री जी के अनुमोदनोपरान्त संबंधित आदेश वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जायेंगे ।

(iv) सार्वजनिक उपक्रमों/ निगमों के कर्मचारियों के लिए अन्य भत्ते एवं सुविधाएं उसी प्रकार एवं उन्हीं दरों पर अनुमन्य किया जाय जैसा कि वेतन समिति की संस्तुति पर राज्य कर्मचारियों के लिए स्वीकृत किया जाय ।

(V) वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के क्रम में पुनरीक्षित वेतन संरचना में उच्चीकृत /संशोधित वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन अनुमन्य कराये जाने से आने वाले अतिरिक्त व्ययभार को सभी सार्वजनिक उपक्रमों/ निगमों द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा तथा इससे आने वाले अतिरिक्त व्ययभार को वहन करने हेतु संबंधित उपक्रम/निगम की वित्तीय क्षमता का परीक्षण संबंधित सार्वजनिक उपक्रम/निगम के प्रशासनिक विभाग, वित्त विभाग एवं सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा संयुक्त रुप में किया जाय ।

(VI) उक्तानुसार लिये गये निर्णय के क्रम में उच्चीकृत वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन आदि प्रशासकीय विभाग द्वारा संबंधित शासनादेश निर्गत होने की तिथि से अनुभन्य कराये जायें ।

2. सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों से संबंधित पूर्व प्रस्तर में उल्लिखित निर्णय के अनुसार वेतनमान आदि लागू करने हेतु संबंधित सार्वजनिक उपक्रम /निगम के प्रशासकीय विभाग एवं वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग द्वारा शासनादेश, दिनांक 16 अक्टूँबर,2009के प्रस्तर–4 तथा 5 में दिये गये निर्देशों के आलोक में परीक्षण करते हुए निर्णय लिया जायेगा ।

समिति की संस्तुतियों को लागू करने के फलस्वरुप यदि कोई असंगति अथवा व्यवहारिक कठिनाई उत्पन्न हो तो उनका निराकरण मा0 मुख्य मंत्री जी के आदेश प्राप्त कर किया जाय ।

4. इस सम्बन्ध में आपसे यह अनुरोध करने का मुझे निदेश हुआ है कि उपर्युक्त निर्णयों के कार्यान्वयन हेतु अपने नियन्त्रणाधीन निगम/उपक्रम के निदेशक मण्डल से प्रस्ताव प्राप्त कर सम्यक् परीक्षणोपरान्त उपर्युक्त प्रस्तर में उल्लिखित प्रकिया के अनुसार सार्वजनिक उद्यम विभाग/वित्त विभाग के परामर्श से आवश्यक कार्यवाही की जाय।

5.. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–वे0आ0–2–396/दस–2013, दिनांक 23 मई,2013 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं ।

भवदीय,

(वीरेन्द्र प्रताप सिंह)
सचिव।

संख्या–624(1)/44–1–2013–77/2009, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. वित्त(वेतन आयोग) अनुभाग–1 तथा 2 (तीन–तीन प्रतियों में)।
2. गोपन अनुभाग–1
3. सार्वजनिक उद्यम अनुभाग–2/आडिट प्रकोष्ठ/प्रबन्ध पत्रिका के प्रकाशनार्थ।
4. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) द्वितीय, उ0प्र0, लखनऊ।
5. निदेशक, सूचना एवं विशेष कार्याधिकारी, सूचना, मुख्यमंत्री, उ0प्र0, लखनऊ।
6. महानिदेशक, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो, जवाहर भवन, लखनऊ को 10 प्रतियों में।
7. श्री अजय अग्रवाल, विशेष सचिव, वित्त(वेतन आयोग) अनुभाग–2 को उनके अर्द्ध शा0 पत्र सं0–वे0आ0–2–599/दस–2012, दिनांक 08 नवम्बर 2012 के संदर्भ में।

आज्ञा से,

(सुधा श्रीवास्तव)
अनु सचिव।